



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पास, जे.एल.एन. मार्ग, झालाना लिंक रोड,
जयपुर (फोन न. 0141-2719137)

क्रमांक : प.6 (रा.सू.आ./संस्था./2025/1511

दिनांक

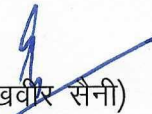
25 APR 2025

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में निम्नांकित संवर्ग में स्वीकृत रिक्त पदों पर कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र एफ.17(10)/डीओपी/ए-II/94 दिनांक 28.03.2023 के प्रावधानों अन्तर्गत राज्य सेवा से सेवानिवृत्त कार्मिकों के आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.स.	पद का नाम	वांछित योग्यताएं
1.	वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक	राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से लिपिकीय संवर्ग से सेवानिवृत्त हुए कार्मिक जिन्हें लिपिकीय कार्य करने का व्यापक अनुभव हो। आवेदक को कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण का ज्ञान हो अपेक्षित है।
2.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग में सेवानिवृत्त हुए कार्मिक जिन्हें सहायक कर्मचारी से संबंधित समस्त कार्यों का व्यापक अनुभव हों।

कार्मिक विभाग के परिपत्र 28.03.2023 के तहत पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक की आयु 65 वर्ष के कम होनी चाहिए तथा आवेदक को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.03.2023 के परिशिष्ट-अ पर दर्शाये अनुसार समेकित पारिश्रमिक देय होगा तथा शेष शर्तें कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र के अनुसार लागू होंगी। आवेदन का प्रारूप आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी दिनांक 31 मई 2025 तक सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर को पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।


(सुखवीर सेनी)
सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

1. सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. अर्हताएं :
5. मूल विभाग का नाम :
6. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पदनाम :
7. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण कार्यानुभव :
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन :
(सेवानिवृत्ति आदेश, एलपीसी की प्रति संलग्न करें)
9. मूल पेंशन राशि (पेंशन पेमेंट आर्डर की प्रति संलग्न करें)
10. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद का वेतनमान व पे-लेवल :
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र :
12. आवेदित पद का नाम :
13. सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के निवास का पता मय मोबाईल नंबर :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी का नाम मय हस्ताक्षर

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अद्योहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मिकों को लगाने के लिए कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या एफ.17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 28.03.2023 में दिये गये सहमत निर्बन्धों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक हैं। अद्योहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बन्धों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

जयपुर

दिनांक :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी का नाम मय हस्ताक्षर